वादपत्र संख्या 79/1996

अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ....वादी

बनाम

1. परमेश्वरी देवी बेवा मोहरसिंह जाति जाट, निवासी 7 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. महेन्द्र प्रताप पुत्र श्री मोहर सिंह जाति जाट, निवासी 6 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. नरेश कुमार पुत्र श्री मोहर सिंह जाति जाट, निवासी 6 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. जगदीश पुत्र श्री मोहर सिंह जाति जाट, निवासी 6 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
6. मोहर सिंह मेमोरियल, पी ब्लॉक स्कूल श्रीगंगानगर जरिए अध्यक्ष कमला देवी पत्नी महेन्द्र प्रताप जाति जाट खातेदार

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित– पैरोकार राज (वादी
श्री सुलतान सिंह बुडानिया अधिवक्ता (प्रतिवादी सं.–6
श्री जसकरण सिंह ओलख अधिवक्ता (पतिवादी सं.

दिनांक–08.12.2017

– निर्णय –

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि श्रीमती परमेश्वरी देवी बेवा मोहर सिंह जाति जाट साकिन 7 जैड के नाम चक 7 जैड के खता संख्या 27/25 मु.नं. 54 के 9.10 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 47 के 15 बीघा कुल 24 बीघा भूमि खातेदारी है।

अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि में से चक 7 जैड के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 10 के 0.18, 11 के 0.18, 20 के 0.03 कुल 1.19 बीघा नहरी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण करवाया गया है।

उक्त कृषि भूमि काबिल काश्त है केवल मात्र काश्त के लिए ही दी गई है इसे किसी भी प्रकार से बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अन्य प्रयोग करना गैरकानूनी है।

चक 7 जैड के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 10 के 0.15, 11 के 0.18, 20 के 0.03 कुल 19 बीघा नहरी खातेदारी कृषि भूमि की किस्म परिवर्तन किये बिना व्यवसायिक प्रयोजनार्थ निर्माण करवा दिया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खातेदारी की शर्तों का उल्लंघन किया है। दावा राजहित में होने से फिस नहीं दी गई है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त भूमि पर से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर रकबा राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश फरमावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। दिनांक 25.11.1997 को प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 की ओर से अधिवक्त श्री रामसिंह ढाका द्वारा वकालत नामा पेश किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 के बावजूद तामील होने पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 12.01.1998 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुलतानसिंह बुडानिया ने वकालतनामा पेश किया एवं दिनांक 24.02.1998 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से आदेश 9 नियम 7 सीपीसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 07.04.1998 को वकील प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार किया गया एंव प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आदेश दिनांक 25.11.1997 निरस्त किया गया। दिनांक 01.11.1999 को वकील

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में स्थित हैं। जिसके सम्बन्ध में ... अध्यादेश के जारी
जारी कर राजस्व विभाग का दखल समाप्त कर दिया गया है और इस अध्यादेश के जारी
होने से अकृषि उपयोग की भूमि के पुर्नगृहण का अधिकार जिला कलक्टर या प्राधिकृत
अधिकारी में निहित हो चुका है। जिस पर उक्त प्रकरण आयन्दा कार्यवाही हेतु जिला
कलक्टर श्रीगंगानगर को प्रेषित करने हेतु निवेदन किया है। दिनांक 06.12.1999 को पैरोकार
राज ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रतिवादी द्वारा इस विषय में
अध्यादेश की प्रमाणित प्रति या अन्य सबूत पेश नहीं किया है जो यह सिद्ध करे कि उक्त
भूमि पर राजस्व विभाग की दखल समाप्त हो गई इसलिए अस्वीकार है। दिनांक 07.03.2000
को आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र दिनांक 01.11.1999 पर बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रतिवादीगण
को राज्य सरकार द्वारा 17 जून को राजस्थान विधियां (संशोधन) अध्यादेश 1999 की
प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा अध्यादेश दिनांक
17.11.1999 पेश किया गया दिनांक 21.10.2008 को प्रतिवादीगण की ओर से जवाब वाद पत्र
प्रस्तुत किया गया। दिनांक 05.07.2013 को वकील प्रतिवादी द्वारा यू.आई.टी. को पक्षकार
बनाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया जाकर यू.आई.टी. पक्षकार
बनाया गया। दिनांक 21.01.2014 को यू.आई.टी. की ओर से जवाब पेश किया गया। दिनांक
11.03.2014 को विवाद्यक कायम किये गये। कायम किये गये विवाद्याक अनुसार :-

1—आया कि चक 7 जेड के मु0नं0 54 के किला नं0 10 में 0.18 बीघा, 11 में
0.18 बीघा 20 में 0.03 बीघा कुल 1.19 बीघा भूमि की किस्म परिवर्तन करवाये
बिना ही व्यवसायिक प्रयोजनार्थ निर्माण करवा लिया गया है। जिससे खातेदारी
की शर्तों की उललघना हुई है। इसलिए अप्रार्थीगण को बेदखल कर राज्य हित
में निहित की जाने योग्य है? —वादी

2—आया कि उक्त विवादास्पद भूमि के समबन्ध में किस्म परिवर्तन राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम की धारा 90 बी या 30 ए की कार्यवाही नहीं हुई है
इसलिए विवादास्पद भूमि रिज्यूम किये जाने योग्य है? —वादी

3—आया कि उक्त नगरीक विकास आवासन एवं स्वास्थ्य शसन विभाग जयपुर
द्वारा अपने आदेश क्रमांक राम/निवि/2005/9837 जयपुर दिनांक 21.12.
2005 से अग्रिम आदेश तक कार्यवाही स्थगित रखी है। इसका उक्त वाद पर
क्या असर है और दावा खारिज किये जाने योग्य है? —प्रतिवादी

4—अनुतोष

दिनांक 25.05.2014 को पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड को स्टेट की ओर से
प्रस्तुत साक्ष्य माने जाने का निवेदन किया। दिनांक 03.03.2015 को पैरोकार राज एवं
अप्रार्थीगण वकील को सुना गया जिन्होंने पूर्व में कायम विवाद्यक को निरस्त निरस्त करते
हुए अप्रार्थी को जवाब प्रस्तुत हेतु मौका दिया जाने बाबत निवेदेन किया गया जिसे स्वीकार
किया गया। दिनांक 07.04.2015 को वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22
नियम 10 ए सी.पी.सी. 1908 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादीया संख्या 1
परमेश्वरी देवी का स्वर्गवास हो चुका है लेकिन वादी ने आज तक मृतक के जायज वारिसान
को कायम मुकाम नहीं बनाया है जिससे वादी के वाद का कानूनन उपशमन हो चुका है और
वाद वादी नाकाबिल चलने के है। जिस पर पैरोकार राज द्वारा दिनांक 09.06.2015 को
जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 ए सी.पी.सी. 1908 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार
प्रतिवादी परमेश्वरी देवी के स्थान पर कमला देवी पत्नी महेन्द्रप्रताप को प्रतिवादी कायम
किया जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं अप्रार्थी कमला देवी
को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.02.2016 को तहसीलदार (राजस्व)
श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार
मौका पर मोहरसिंह मेमोरियल पी ब्लॉक स्कूल, श्रीगंगानगर के अध्यक्ष कमला देवी पत्नी
महेन्द्र प्रताप जाति जाट खातेदार दर्ज है। इतः इन्हें पक्षकार बनाया जावे। जिस पर निवेदन
स्वीकार कर कमला देवी पत्नी महेन्द्र प्रताप को पक्षकार बनाया जाकर तलबी हेतु नोटिस
जारी किये गये एवं नायब तहसीलदार को संशोधित शीर्षक पेश करने हेतु पाबन्द किया
गया। दिनांक 26.09.2016 को अप्रार्थी वकील द्वारा आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी. का प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार अप्रार्थीया/प्रतिवादिया संख्या 1 परमेश्वरी देवी का
स्वर्गवास होने के उपरान्त उसके विधिक वारिसान को मियाद अधिनियम में निर्धारित अवधि
90 दिवस के अन्दर कायम मुकाम नहीं बनाये जाने के कारण प्रकरण हाजा का स्वतः ही
उपशमन हो चुका है। जिस पर प्रार्थी/वादी को उपशमन को निरस्त करवा कर मृतिका
अप्रार्थीया/प्रतिवादिया संख्या 1 परमेश्वरी देवी के कुल विधिक वारिसान को मृतिका के

स्थान पर कानून कायम मुकान बनाया जाना था लेकिन पैरोकार राज ने प्रतिवादिया परमेश्वरी देवी की मृत्यु के बाद कमलादेवी को वारिसान बनाने का निवेदन किया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कमला देवी को जरिये नोटिस जारी कर दिनांक 16.06.2015 को पेश है अदालतवाला का उक्त आदेश कतई विधि विपरीत एवं गलत है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट के विपरीत है इसके अलावा पैरोकार राज की ओर से ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश ही नहीं किया गया और ना ही कमला देवी मृतिका परमेश्वरी देवी की विधिक वारिस है चूंकि कमला देवी अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्र प्रताप की पत्नी है जो आज के दिन जीवित है तो स्वीकार क्या और कैसे किया गया। इस प्रकार अदालतवाला के आदेश दिनांक 09.06.2015 में Error Face on Record है जिसका पुनर्वालोकन किया जाकर प्रकरण में विधिनुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जानी कानूनन आवश्यक एवं उचित है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर अदालतवाला के आदेश दिनांक 09.06.2015 का पुनर्वालोकन किया जाकर प्रकरण में विधिनुसार विधि सम्मत आदेश पारित किया जावे।

दिनांक 08.11.2016 को स्टेट की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार कमला देवी पत्नी महेन्द्रप्रताप द्वारा उक्त रकबा मुताबिक जमाबन्दी 2052 में जरिये इकरार नामा 111/04.09.1996 व 117/05.12.1996 से जरिये बैयनामा खातेदार दर्ज है। मुताबिक जमाबंदी बिन्दु संख्या 7 के अंकन अनुसार कमलादेवी के खातेदार होने के कारण है पक्षकार बनाया गया है।

।। आदेश ।।

बहस उभ्यपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के दस्तावेजों एवं तथ्यानुसार अप्रार्थीया/प्रतिवादिया संख्या 1 परमेश्वरी देवी का स्वर्गवास होने के उपरान्त प्रथम पक्षकार पैरोकार राज. द्वारा उसके विधिक वारिसान को मियाद अधिनियम में निर्धारित अवधि 90 दिवस के अन्दर कायम मुकाम पेश नहीं जाने के कारण प्रकरण उपशमन होने पर दावा अबेट (Abete) किया जाता है।

उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य न होकर वर्तमान में अकृषि कार्य हो रहा हो तो तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर पुनः नया वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय की प्रति वास्ते सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु तलसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय पक्षकारान की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08.12.2017 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर